छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 NOV 2005

क्रमांक: 3७७० /13/उवि/अधिसूचना/05 चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है।

अतएव छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. ग सन् 1949) की धारा-3(बी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले केवल नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से निर्दिष्ट अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

क- लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1.वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट 2.अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

ख- वृहद-मध्यम

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

ग- मेगा प्रोजेक्टस-वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

घ- मेगा प्रोजेक्टस-अति वृहद् उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

विद्यमान औद्यगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं को विद्युत शुल्क छूट की पात्रता नही होगी।

राज्य की औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत यदि किसी निवेशक द्वारा, जिन्होंने दिनांक 1.11.04 के पूर्व उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित प्रभावी कदम उठा लिये गये हो अर्थात

(i) उद्योग हेतु भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया हो।

(ii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार शेड भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया हो तथा (iii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी हेतु पक्का क्रय आदेश जारी कर दिया हो।

ऐसे निवेशकों के समक्ष निम्न दो विकल्प रहेंगे:-

<u>विकल्प-अ</u> औद्योगिक नीति वर्ष 2001-06 के अधीन ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं यथा क्र0 2348-49, 2350-51, 2352-53 दिनांक 21.6.02, क्रमांक 2370-71 दिनांक 25.6.02 तथा क्रमांक 3313-14 दिनांक 18.8.203 के अंतर्गत पात्रता अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट संबंधी सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

<u>विकल्प-ब</u> निवेशक द्वारा दिनांक 1.11.2004 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने की स्थिति में औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 के अंतर्गत विद्युत शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त की जा सकता है।

निवेशक को विकल्प-अ अथवा विकल्प-ब के अंतर्गत छूट के लाभ हेतु उद्योग विभाग से अनुशंसित व अभिप्रमाणित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे उद्योगों/ निवेशकों के मामले में जिन्हें पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अनुसार विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा दी जा चुकी है, को पूर्व निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट मिलती रहेगी तथा ऐसे उद्योगों/ निवेशकों को औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 के अंतर्गत छूट के लाभ की पात्रता नही रहेगी।

उपरोक्त तालिका अनुसार उद्योग/निवेशक को विद्युत शुल्क में भुगतान की छूट के लाभ हेतु उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी से शुल्क में छूट की पात्रता हेतु आवश्यक प्रमाण मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा।

औद्योगिक नीति में निवेश की सीमा, उद्योगों के संवर्ग एवं उद्योगों के नवीन होने तथा विद्यमान औद्योगिक इकाई विस्तार इकाई न होने आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र आवेदक को उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र विद्युत शुल्क में छूट हेतु आवेदन के साथ मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा। औद्योगिक इकाई में औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय लोगों को रोजगार देने संबंधी प्रावधानों को संतुष्ट करने का दायित्व निवेशक पर होगा एवं संबंधित जिले के कलेक्टर से इस हेतु प्रमाण-पत्र निवेशक को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। औद्योगिक नीति में परिभाषित किसी भी शर्त के उल्लंघन के पाये जाने पर छूट की पात्रता स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं रियायत की एवज में हुए लाभ की वसूली भू-राजस्व के बकाया हेतु लागू प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी। विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता के संबंध में ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 1.11.2004 से लागू हुई मानी जावेगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग, रायपुर

पृ.क्र./3001 /13/ऊवि0/अधिसूचना/05 रायपुर, दिनांक 03 NOV 2005

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

5. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज तथा उद्योग विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. संचालक जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ शासन, बैरन बाजार, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु। प्रकाशित राजपत्र की 300 प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने का निवेदन है।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग, रायपुर

क्रमांक 1660 2005
दिनांक 7-11

(On leave)

एमडी/अधि.12-13